



# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. १८३]

दिल्ली, सोमवार, नवम्बर २९, २०१०/अग्रहायण ८, १९३२

[ ग.ग.रा.क्षे. दि. सं. २०८

No. १८३]

DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2010/AGRAHAYANA 8, 1932

[N.C.T.D. No. 208]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी रान्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, २९ नवम्बर, २०१०

फा. सं. १२/०१/२००६/प्र.सु./२३७९-५७८/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक २५ सितम्बर, १९९७ के संकल्प संलग्न फा. ०४/१४/९४-प्र.सु. जो दिनांक ३०-७-१९९८ के संकल्प संलग्न फा. ४/१४/९४-प्र.सु. के अनुसार संशोधित हुआ के खांड-२ के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, श्री शान्ति कुमार जैन (भारतीय पुलिस सेवा) को उन शिक्षायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्णकालिक सदस्य के हाथ में उक्त उल्लिखित संकाल्पों में यथानियोगित शास्त्रों के अनुसार नियुक्त करते हैं।

श्री शान्ति कुमार जैन (भारतीय पुलिस सेवा) अपने कार्यपार संभालने को तिथि से दो वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

अरविंद रे, प्रधान मंत्री

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th November, 2010

No. F. १२/०१/२००६/AR/२३७९-५७८/C.—In pursuance of Clause 2 of Government of National Capital Territory of Delhi's Resolution No. F. ४/१४/९४-AR dated २५-९-१९९७ as amended vide Resolution No. F. ४/१४/९४-AR

dated 30-7-1998, the Lt. Governor of Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh Shanti Kumar Jain (IPS) as Whole Time Member, Public Grievances Commission, Government of National Capital Territory of Delhi subject to the terms and conditions as stipulated in the above referred Resolutions.

Shri Shanti Kumar Jain (IPS) shall hold charge of the post for a period of two years from the date of joining.

ARVIND RAY, Pr. Secy.

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, २९ नवम्बर, २०१०

सं. फा. ०२(०७)/९१-एसीए/बीटीई/२४६२.—तकनीकी शिक्षा बोर्ड के गठन संबंधी दिनांक ४-६-२००३ को अधिसूचना संलग्न फा. ०२(०७)/९१-एसीए/बीटीई/५५७ से ५६५ के अधिक्रम में उपराज्यपाल, दिल्ली तकनीकी शिक्षा बोर्ड दिल्ली का पुनर्गठन नियमानुसार तुरन्त प्रभाव से करते हैं :—

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| १. तकनीकी शिक्षा मंत्री          | —अध्यक्ष   |
| २. मुख्य सचिव                    | —उपाध्यक्ष |
| ३. श्री एवंद्र यादव, विधायक      | —सदस्य     |
| ४. श्री अरविंद सिंह लवली, विधायक | —सदस्य     |
| ५. आयुक्त (उद्योग)               | —सदस्य     |